न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 31/2021

रामकुमार पुत्र सुलतान, उम्र 85 वर्ष, जाति मीणा निवासी चुड़ेला,तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
– निगरानीकार

–बनाम–

1. ग्राम पंचायत चुड़ेला, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चुड़ेला, जिला झुंझुनू।
2. ग्राम विकास अधिकारी,ग्राम पंचायत चुड़ेला।
3. शिशुपाल पुत्र सुलतान जाति मीणा, निवासी चुड़ेला, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।(फौत)

   3/1. राकेश कुमार पुत्र शिशुपाल जाति मीणा, निवासी चुड़ेला, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

   3/2. विकास कुमार पुत्र शिशुपाल जाति मीणा, निवासी चुड़ेला, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

   3/3. सरोज पुत्री शिशुपाल पत्नि विनोद कुमार मीणा, निवासी डोकवा तन राजगढ, जिला चुरू।

   3/4. बबीता पुत्री शिशुपाल पत्नि सुभाष कुमार मीणा, निवासी डोकवा तन राजगढ, जिला चुरू।

   3/5. पूनम पुत्री शिशुपाल पत्नि कैलाश मीणा, निवासी राणासर, तहसील व जिला चुरू।

–गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध
जारी करने पट्टा दिनांक 08.11.2010 संकल्प संख्या 4 (1)
द्वारा ग्राम पंचायत चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

उपस्थितिः–

1. श्री अलीशेर खान, एडवोकेट ––– –––––निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री धीरज कुमार, एडवोकेट–गैर निगरानीकार नं0 3/1 लगायत 3/5 की ओर से ।

–निर्णय– दिनांक 14.12.2021

उक्त निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध जारी करने पट्टा दिनांक 08.11.2020 संख्या 4(1) ग्राम पंचायत चुड़ेला के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। संक्षेप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.14 17:05:36 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि– ग्राम पंचायत चुड़ेला का आदेश दिनांक 08.11.2001 संकल्प संख्या 4 (1) विधि व तथ्यों के विरूद्ध है जो प्रथमदृष्ट्या खारिज होने काबिल है। उक्त पट्टा जारी करने हेतु पट्टा प्राप्त करने वाले द्वारा आवेदन पत्र में भूमि पर आधिपत्य पत्रिक लिखा है। जबकि पैत्रिक भूमि है तो ग्राम पंचायत द्वारा सकल्प लेने से पूर्व पूर्वजों के वारिसों की सम्पूर्ण जानकारी लेकर उसमें हक की पूर्ण जांच किये जाने के बाद जारी किया जाना चाहिए था जो प्रक्रिया ग्राम पंचायत द्वारा नहीं अपनायी गई है। ग्राम पंचायत में आबादी भूमि हासिल करने हेतु विक्रय विलेख के साथ नजरी नक्शा पेश नहीं किया है। नक्शे व निरीक्षण हेतु फीस अदा की जाती है। गैर निगरानीकार संख्या–3 द्वारा कोई फीस अदा की गई है, इसका कोई विवरण नहीं है और आवेदन में गलत तथ्य दर्ज किये हैं। क्योंकि चाही गई भूमि गैर निगरानीकार संख्या 3 व निगरानीकार दोनों सगे भाइयों की पुरानी पैत्रिक रिहायशी गुवाड़ी है जो करीबन 210 वर्ग गज है जिसमें निगरानीकार का 1/2 हिस्सा यानि 105 वर्गगज भूमि पर 50 वर्षों से अधिक समय से भैतिक कब्जा है। गैर निगरानीकार संख्या 3 की पैत्रिक भूमि मात्र 105 वर्गगज ही थी। दोनों भाइयों का भौतिक व पैत्रिक कब्जा है। यह तथ्य छुपाकर गैर निगरानीकार संख्या 3 ने आवेदन पत्र गलत पेश किये। आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा गैर कानूनी संकल्प पत्र पारित किया है जो काबिले खारिज है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचों की निरीक्षण रिपोर्ट व आपत्ति नोटिस की सिर्फ खाना–पूर्ति की गई है। गैर निगरानीकार संख्या 3 को पंचायत राज अधिनियम के नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है। पैत्रिक आबादी भूमि पर वर्षों से आबाद व्यक्ति को उनकी हिस्सेदारी व वारिसों की सम्पूर्ण जानकारी व जांच करने के बाद नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया जाता है। उक्त पट्टा विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चुड़ेला द्वारा द्वारा पारित संकल्प संख्या 4 (1) खारिज फरमाया जावे तथा उक्त संकल्प पत्र के आधार पर जारी पट्टा जो गैर निगरानीकार संख्या 3 के नाम से जारी है को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.14 17:05:36 IST
Reason: SelfAttested

गैर निगरानीकार संख्या–3 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण / गैर निगरानीकार संख्या–3 का पिता शिशुपाल अनपढ व्यक्ति था। प्रार्थीगण के पिता ने पट्टे के लिए किसी अन्य व्यक्ति से फार्म भरवाया था जब कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा पट्टे के लिए आवेदन फार्म नहीं भरा गया था। प्रार्थीगण के पिता ने पट्टे में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। पैत्रिक शब्द भूलवश लिखा गया जबकि प्रार्थीगण के पिता उक्त भूमि पर 50 साल से काबिज है। प्रार्थी के पिता के नाम से काफी वर्षो पहले पट्टा जारी हुआ है। अतः निगरानीकार की निगरानी मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अपने पक्ष समर्थन में प्रहलाद राम पुत्र श्री मालाराम जाति मीणा उम्र 62 वर्ष निवासी चुड़ेला एवं श्री रामलाल पुत्र श्री मालाराम उम्र 71 वर्ष जाति खाती निवासी चुड़ेला का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जिनमें उल्लेख किया गया है कि गैर निगरानीकार संख्या 3 का पिता शिशपाल पुत्र श्री सुलतानराम मीणा जो कि ग्राम चुड़ेला में 50 वर्ष से अधिक समय से मकान बनाकर परिवार सहित रहा है। शिशुपाल की मृत्यु के बाद उसके बच्चे व पत्नी का मकान पर अधिकार है आदि।

मिसल ग्राम पंचायत तलब की गई। मिसल ग्राम पंचायत चुड़ेला प्राप्त होने पर विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– गैर निगरानीकार संख्या–3 द्वारा ग्राम पंचायत चुड़ेला से जिस भूमि का पट्टा दिनांक 11.8. 2010 शिशुपाल पुत्र सुलतान द्वारा प्राप्त किया गया उसमें 1/2 हिस्सा निगरानीकार का है। उक्त भूमि पैत्रिक भूमि है और गैर निगरानीकार संख्या 3 द्वारा भी पट्टा प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत चुड़ेला में जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी पत्रिक भूमि अंकित किया गया है। गैर निगरानीकार संख्या–3 द्वारा कोई फीस अदा की गई है, इसका कोई विवरण नहीं है और आवेदन में गलत तथ्य दर्ज किये हैं। क्योंकि चाही गई भूमि गैर निगरानीकार संख्या 3 व निगरानीकार दोनों सगे भाइयों की पुरानी पैत्रिक रिहायशी गुवाड़ी है जो करीबन 210 वर्ग गज है जिसमें निगरानीकार का 1/2 हिस्सा यानि 105 वर्गगज भूमि पर 50 वर्षों से अधिक समय से भैतिक कब्जा है। दोनों भाइयों का भौतिक व पैत्रिक कब्जा है। यह तथ्य छुपाकर गैर निगरानीकार संख्या 3 ने आवेदन पत्र गलत [illegible] आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा गैर कानूनी संकल्प पत्र पारित किया है जो काबिले खारिज है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचों की निरीक्षण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.14 17:05:36 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

रिपोर्ट व आपति नोटिस की सिर्फ खाना–पूर्ति की गई है। गैर निगरानीकार संख्या 3 को राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है। पैत्रिक आबादी भूमि पर वर्षों से आबाद व्यक्ति को उनकी हिस्सेदारी व वारिसों की सम्पूर्ण जानकारी व जांच करने के बाद नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया जाता है। उक्त पट्टा विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चुड़ेला द्वारा द्वारा पारित संकल्प संख्या 4 (1) खारिज फरमाया जावे तथा उक्त संकल्प पत्र के आधार पर जारी पट्टा जो गैर निगरानीकार संख्या 3 के नाम से जारी है, को निरस्त फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत चुड़ेला के कार्यवाही रजिस्टर एवं पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत चुड़ेला की बैठक दिनांक 6.9.2010 में श्री शिशुपाल सिंह पुत्र श्री सुलतान जाति मीणा निवासी चुड़ेला द्वारा आवेदन –पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रस्ताव संख्या–2 द्वारा सर्वसम्मति से राज0 पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत निरीक्षणार्थ कमीशन नियुक्त किया गया है। ग्राम पंचायत चुड़ेला के कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 8.11.2010 के प्रस्ताव संख्या–4 में अंकित किया गया है कि आपत्ति नोटिस जारी किये एक माह का समय पूर्ण हो गया है और ग्राम पंचायत कार्यालय में कोई आपति प्राप्त नहीं हुई है बीपीएल परिवार होने के कारण कुल 04 व्यक्तियों को पट्टा जारी करने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मतति से पारित किया गया है जिनमें शिशपाल का नाम भी अंकित है। ग्राम पंचायत चुड़ेला की पट्टा पत्रावली में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र शिशुपाल, पंच द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट, भूमि का नक्शा एवं पटटा संख्या 001 दिनांक 8.11.2010 जिस पर लाल स्याही से बीपीएल लिखा गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत चुड़ेला द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर बी. पी.एल. परिवारों को निशल्क पट्टे जारी किये गये है जिनमें गैर निगरानीकार संख्या–3 शिशपाल को भी उक्त पटटा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत चुड़ेला द्वारा गैर निगरानीकार संख्या–3 को राजस्थान पंचायती राज0 नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत प्रारूप–ग में निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है। राजस्थान पंचायती राज0 नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.14 17:05:36 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

जन जातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को निवास हेतु रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी और ऐसी भूमि का पट्टा प्रारूप 23 ग में जारी किया जा सकेगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत चुड़ेला द्वारा गैर निगरानीकार संख्या–3 अनुसूचित जन जाति एवं बीपीएल होने के कारण आबादी भूमि में से निःशुल्क रिहायश हेतु उक्त पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा पैत्रिक गुवाड़ी/मकान मानकर नियमितिकरण नहीं किया गया है। पैत्रिक गुवाड़ी/मकान के पट्टे जारी ना होकर राजस्थान पंचायती राज0 नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत नियमितिकरण किया जाता है। हस्तगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज0 नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत जारी किया गया है। जहां तक आवेदन–पत्र में पैत्रिक शब्द लिखे जाने का प्रश्न है। आवेदन पत्र के अवलोकन से आवेदन पत्र में कॉलम संख्या 5 भूमि पर अधिपत्य किस प्रकार व कब से– में **"पैन से पैत्रिक शब्द लिखा गया है"** लेकिन आवेदन पत्र पर शिशपाल की अंगूठा निशानी है जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि शिशपाल साक्षर भी नहीं है। उक्त आवेदन फार्म भी दो अलग–अलग स्याही से एवं अलग–अलग हस्तलिपि में भरा गया है, जिससे जाहिर होता कि आवेदन पत्र भी गैर निगरानीकार संख्या 3 द्वारा न भरा जाकर अन्य दो पृथक–पृथक व्यक्तियों द्वारा भरा जाना प्रतीत होता है।

गैर निगरानीकार संख्या–3 के पुत्र ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पैत्रिक भूमि के संबध में निवेदन किया है कि उसका पिता गैर निगरानीकार संख्या–3 शिशुपाल अनपढ़ व्यक्ति था। प्रार्थीगण के पिता ने पट्टे के लिए किसी अन्य व्यक्ति से फार्म भरवाया था। प्रार्थीगण के पिता द्वारा पट्टे के लिए आवेदन फार्म नहीं भरा गया था। पैत्रिक शब्द भूलवश लिखा गया जबकि प्रार्थीगण के पिता उक्त भूमि पर 50 साल से काबिज है। प्रार्थी के पिता के नाम से काफी वर्षो पहले पट्टा जारी हुआ है। गैर निगरानीकार संख्या 3 के वारिसान ने अपने पक्ष समर्थन में प्रहलाद राम पुत्र श्री मालाराम जाति मीणा उम्र 62 वर्ष निवासी चुड़ेला जो कि उसका पड़ौसी है एवं श्री रामलाल पुत्र श्री मालाराम उम्र 71 वर्ष जाति खाती निवासी चुड़ेला का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जिनमें उल्लेख किया गया है कि गैर निगरानीकार संख्या 3 का पिता शिशपाल पुत्र श्री सुलतानराम मीणा जो कि ग्राम चुड़ेला में 50 वर्ष से अधिक समय से मकान बनाकर परिवार सहित रहा है। शिशुपाल की मृत्यु के बाद उसके [illegible] पत्नी का मकान पर अधिकार है, आदि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.14 17:05:36 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

इस प्रकार ग्राम पंचायत चुड़ेला द्वारा गैर निगरानीकार शिशपाल को उक्त पट्टा संख्या–1 दिनांक 08.11.2010 गुवाड़ी/मकान पैत्रिक मानकर नियमितिकरण नहीं किया गया है। बल्कि उक्त पट्टा बीपीएल श्रेणी का अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति होने के कारण आबादी भूमि में राजस्थान पंचायती राज0 नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत निःशुल्क जारी किया गया है।

निगरानीकार द्वारा गैर निगरानीकार संख्या–3 के पट्टा आवेदन फार्म में **पैत्रिक शब्द** अंकित कर देने मात्र को आधार बनाकर करीब 11 साल बाद ग्राम पंचायत चुड़ेला द्वारा अनुसूचित जन जाति के बीपीएल परिवार के व्यक्ति को विधिक प्रकिया के अन्तर्गत राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत जारी किये गये पट्टे को निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थियों को देखते निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत चुड़ेला द्वारा शिशपाल पुत्र सुलतान जाति मीणा निवासी चुड़ेला के हक में जारी पट्टा संख्या–1 दिनांक 08.11.2010 यथावत रखा जाता है। आदेश की एक प्रति ग्राम पंचायत चुड़ेला को भिजवाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/12/2021

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.14 17:05:36 IST
Reason: SelfAttested